राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/14767 - 15006 दिनांक : 26.06.2023

अति आवश्यक

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त, राजस्थान।

विषयः– इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के क्रम में।
प्रसंग– विभागीय समसंख्यक पत्रांक 4575–4814 दिनांक 09.03.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 15.05.2023 को आयोजित बैठक के दौरान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यो को अधिक प्रभावशील बनाये जाने के क्रम में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

क्र. सं.	बैठक से संबंधित बिन्दु	निर्णय
1.	सेवा सम्बन्धी कार्यो के क्रियान्वयन बाबत।	सेवा सम्बन्धी कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार सीमित समय के लिये कुशल (कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड आदि)/अकुशल श्रमिकों का नियोजन श्रम विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.जून 2022 के अनुरूप सेवा एजेन्सी के माध्यम आवश्यकता अनुरूप नियोजित किया जा सकता है। (A) नगर पालिका कार्यालय स्तर – 02 (B) नगर परिषद कार्यालय स्तर – 03 (C) नगर निगम कार्यालय स्तर – 05
2.	आपदा प्रबन्धन अन्तर्गत खाली सीमेंट के बैग में मिट्टी भरने संबंधी कार्य बाबत।	आगामी मानसून काल को मध्येनजर रखते हुये समस्त निकायों में स्थापित किये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण केन्द्रो पर विगत तीन वर्षो के औसत अनुसार मिट्टी के कट्टे भरने तथा बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर आवश्यक कार्य हेतु अकुशल श्रमिकों का नियोजन इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	मेट के नियोजन बाबत।	विभागीय प्रत्रांक 4575–4814 दिनांक 09.03.2023 के द्वारा एक कार्य स्थल पर प्रत्येक 20 श्रमिकों के नियोजन उपरान्त एक मेट नियोजित किये जाने का प्रावधान किया गया था। इसमे महात्मा गांधी नरेगा योजना की तर्ज पर मेट का नियोजन किये जाने बाबत निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया :– 1. 10 या 10 से कम श्रमिक होने की स्थिति में मेट अलग से नियुक्त नही किया जावेगा। इस स्थिति में मस्टरोल में अंकित किसी मजदूर को कार्यकारी संस्था द्वारा उपस्थिति लेने हेतु एवं श्रमिकों द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य की माप करने हेतु निर्देशित किया जावेगा। 2. एक कार्य स्थल पर प्रत्येक 50 श्रमिकों के लिये एक मेट का नियोजन किया जावे। 3. 50 से अधिक एवं 100 श्रमिकों तक कार्य पर दो (2) मेट ही नियोजित किये जावे।

4.	श्रमिकों को पानी पिलाने वाले श्रमिकों की संख्या	1. कार्य स्थल पर 10 या 10 से कम श्रमिक नियोजित होने पर पानी की व्यवस्था इन्ही श्रमिकों द्वारा दैनिक रोटेशन के आधार पर स्वेच्छा से की जावेगी। पानी पिलाने के लिये कोई अतिरिक्त श्रमिक नियोजित नहीं किया जावे। पानी पिलाने वाले श्रमिक को अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। 2. प्रत्येक 50 श्रमिकों पर एक श्रमिक पानी पिलाने हेतु रखा जावे। जल स्त्रोत से 300 मीटर की दूरी तक से पानी लाने का कार्य इसी श्रमिक के द्वारा किया जावेगा। 3. 50 से अधिक एवं 100 श्रमिकों तक के लिये 02 श्रमिकों का नियोजन किया जावे। 4. यदि एक ही निकाय में एक से अधिक कार्य करवाये जाने पर एक वाहन द्वारा पानी परिवहन कर सभी कार्य स्थल पर पानी की आपूर्ति की जावे। साथ ही कार्य स्थल पर पानी को ढककर एवं छांया में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। **5. श्रमिकों को पानी की व्यवस्था हेतु निकाय स्तर पर प्रगतिरत कार्यों (On going works) की संख्या के अनुरूप नियमानुसार कैम्पर को क्रय किया जाकर वर्ष पर्यन्त श्रमिकों को कार्य स्थल पर पानी पिलाये जाने हेतु उपयोग में लिया जावे।** 6. कार्यस्थलों पर पानी पिलाने एवं 05 बच्चों की देखभाल हेतु नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिक की दर से भुगतान किया जावेगा। 7. उक्त बिन्दु संख्या 2, 3, 4, **6** में पानी पिलाने एवं बच्चो की देखभाल करने वाले श्रमिकों की टास्क में गणना नहीं की जायेगी।
5.	पानी पिलाने, आया (बच्चो की देखभाल) हेतु नियोजित श्रमिक, डिस्पले बोर्ड, छाया हेतु टेन्ट आदि।	कार्यो के तकमीने में अधिकतम 1 प्रतिशत कन्टींजेंसी चार्जेज को सम्मिलित किया जावेगा। कन्टींजेंसी व्यय तकमीने का भाग होगा। **कन्टींजेंसी पर किये जाने वाला व्यय/क्रय वित्तीय नियमों की नियमानुसार पालना करते हुये पानी पिलाने, बच्चों की देखभाल पर नियोजित श्रमिकों पर, डिस्पले बोर्ड, छाया, फोटोग्राफी पर किया जावेगा।**

कृपया उपोक्तानुसार पालना सुनिश्चित किये जाने का श्रम करावे। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)()सीई/डीएलवी/IRGY(U)/2023–24/ 15007 - 15050 दिनांक: 26.06.2023

प्रतिलिपि:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग एवं संसदीय कार्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
4. जिला कलक्टर एंव जिला परियोजना समन्वयक समस्त राजस्थान।
5. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. अधीक्षण/अधिशाषी/सहायक अभियन्ता नगरीय निकाय .....।
7. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव